


छत्तीसगढ़ शासन
महिला एवं बाल विकास विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन,
नवा रायपुर अटल नगर, जिला-रायपुर

// आदेश //

नवा रायपुर, दिनांक 27/09/2022

क्रमांक एफ 1-30/2022/मबावि/50 :: राज्य शासन एतद्वारा महिला एवं बाल विकास विभाग के निम्नलिखित बाल विकास परियोजना अधिकारियों को प्रशासनिक आधार पर स्थानांतरित कर, आगामी आदेश तक अस्थाई रूप से उनके नाम के सम्मुख कॉलम-4 में अंकित स्थान पर पदस्थ किया जाता है:-

| क. | अधिकारी का नाम | वर्तमान पदस्थापना | नवीन पदस्थापना | स्थानांतरण का प्रकार |
|----|-----------------------|--|--|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | श्रीमती पूनम कुर्रे, | बाल विकास परियोजना अधिकारी एकीकृत बाल विकास परियोजना बिल्हा, जिला-बिलासपुर | बाल विकास परियोजना अधिकारी एकीकृत बाल विकास परियोजना सीपत, जिला-बिलासपुर | प्रशासनिक |
| 2 | सुश्री विद्या पाण्डेय | बाल विकास परियोजना अधिकारी एकीकृत बाल विकास परियोजना नवागढ़, जिला-जांजगीर-चांपा | बाल विकास परियोजना अधिकारी एकीकृत बाल विकास परियोजना बिल्हा, जिला-बिलासपुर | प्रशासनिक |
| 3 | श्री विकास सिंह, | बाल विकास परियोजना अधिकारी एकीकृत बाल विकास परियोजना कोरबा ग्रामीण, जिला-कोरबा | बाल विकास परियोजना अधिकारी एकीकृत बाल विकास परियोजना नवागढ़, जिला-जांजगीर-चांपा | प्रशासनिक |
| 4 | मोहम्मद अहमद, | बाल विकास परियोजना अधिकारी एकीकृत बाल विकास परियोजना जैजेपुर, जिला-जांजगीर-चांपा | बाल विकास परियोजना अधिकारी एकीकृत बाल विकास परियोजना बम्हनीडीह, जिला-जांजगीर-चांपा | प्रशासनिक |
| 5 | श्री कौशलेश देवांगन | बाल विकास परियोजना अधिकारी एकीकृत बाल विकास परियोजना हरदीबाजार, जिला-कोरबा | बाल विकास परियोजना अधिकारी एकीकृत बाल विकास परियोजना फिगेश्वर, जिला-गरियाबंद | प्रशासनिक |
| 6 | सुश्री प्रभा लकड़ा, | बाल विकास परियोजना अधिकारी एकीकृत बाल विकास परियोजना मनेन्द्रगढ़, जिला-कोरिया | बाल विकास परियोजना अधिकारी एकीकृत बाल विकास परियोजना तपकरा 02, जिला-जशपुर | प्रशासनिक |



| | | | | |
|----|-----------------------|---|--|-----------|
| 7 | श्रीमती ज्योति तिवारी | बाल विकास परियोजना अधिकारी एकीकृत बाल विकास परियोजना जांजगीर, जिला- जांजगीर-चांपा | अधीक्षका, बाल गृह (बालिका) विलासपुर, छ.ग. | प्रशासनिक |
| 8 | सुश्री सीमा सिंह | बाल विकास परियोजना अधिकारी एकीकृत बाल विकास परियोजना बालौद, जिला-बालौद | बाल विकास परियोजना अधिकारी, एकीकृत बाल विकास परियोजना बरपाली, जिला-कोरबा | प्रशासनिक |
| 9 | सुश्री रीना ठाकुर | बाल विकास परियोजना अधिकारी एकीकृत बाल विकास परियोजना राजनांदगांव शहरी, जिला-राजनांदगांव | बाल विकास परियोजना अधिकारी, एकीकृत बाल विकास परियोजना बड़ेराजपुर जिला-कोण्डागांव | प्रशासनिक |
| 10 | सुश्री जया पटेल | बाल विकास परियोजना अधिकारी एकीकृत बाल विकास परियोजना लवन, जिला-बलौदाबाजार | बाल विकास परियोजना अधिकारी, एकीकृत बाल विकास परियोजना राजपुर, जिला-बलरामपुर | प्रशासनिक |
| 11 | श्रीमती ममता तुली | बाल विकास परियोजना अधिकारी एकीकृत बाल विकास परियोजना कटघोरा, जिला-कोरबा | बाल विकास परियोजना अधिकारी, एकीकृत बाल विकास परियोजना मालखरौदा, जिला-जांजगीर-चांपा | प्रशासनिक |
| 12 | श्रीमती सरस्वती डे | बाल विकास परियोजना अधिकारी एकीकृत बाल विकास परियोजना गौरैला, जिला-गौरैला-पेण्ड्रा-मरवाही | बाल विकास परियोजना अधिकारी, एकीकृत बाल विकास परियोजना दुलदुला-2, जिला-जशपुर | प्रशासनिक |
| 13 | श्री मनोज अग्रवाल | बाल विकास परियोजना अधिकारी एकीकृत बाल विकास परियोजना फरसगांव-2 (बड़ेडोंगर), जिला-कोण्डागांव | बाल विकास परियोजना अधिकारी, एकीकृत बाल विकास परियोजना कटघोरा, जिला-कोरबा | प्रशासनिक |

2/ उक्त स्थानांतरण/पदस्थापना हेतु स्थानांतरण नीति वर्ष 2022 का पालन किया गया है।


3/ उपरोक्त स्थानांतरित बाल विकास परियोजना अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि वे नवीन पदस्थापना स्थान पर आदेश जारी दिनांक से 15 दिवस के भीतर कार्यभार ग्रहण करें। उक्त समयावधि के भीतर भारमुक्त नहीं होने की स्थिति में संबंधित अधिकारी स्वमेव भारमुक्त माने जायेंगे। निर्धारित समयावधि में कार्यभार ग्रहण नहीं करने पर संबंधित अधिकारी के विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी।

4/ संबंधित अधिकारी यदि उक्त स्थानांतरण आदेश से व्यथित हो, तो वह आदेश जारी तिथि से 15 दिवस के भीतर, शासन द्वारा गठित वरिष्ठ सचिवों की समिति के संयोजक एवं सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग को अपना अभ्यावेदन 02 प्रतियों में प्रस्तुत कर सकता है।



5/ उपरोक्त स्थानांतरण आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार


(विजया खेस) 27/09/22

अवर सचिव


छत्तीसगढ़ शासन

महिला एवं बाल विकास विभाग

नवा रायपुर, दिनांक 27/09/2022

पृ0 क्र0 एफ 1-30/2022/मबावि/50
प्रतिलिपि:-

- 1- अपर मुख्य सचिव छत्तीसगढ़ शासन, मान. मुख्यमंत्री सचिवालय, मंत्रालय नवा रायपुर अटल नगर, जिला-रायपुर (छ.ग.)।
- 2- विशेष सहायक, मा. मंत्री जी, छत्तीसगढ़ शासन, महिला एवं बाल विकास विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, छ.ग.।
- 3- उप सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, मुख्य सचिव कार्यालय, मंत्रालय, अटल नगर, जिला - रायपुर, छत्तीसगढ़।
- 4- महालेखाकार, छ.ग. रायपुर।
- 5- समस्त संभागीय आयुक्त संभाग छ.ग.।
- 6- संचालक, महिला एवं बाल विकास संचालनालय, नवा रायपुर अटल नगर, जिला-रायपुर।
- 7- कलेक्टर, जिला-बिलासपुर/जांजगीर-चांपा/कोरबा/गरियाबंद/कोरिया/ जशपुर/ बालौद/राजनांदगांव/बलौदाबाजार/बलरामपुर/ गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही/कोण्डागांव, छ.ग.
- 8- संयुक्त संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन, रायपुर।
- 9- जिला कोषालय अधिकारी, जिला-बिलासपुर/जांजगीर-चांपा/कोरबा/गरियाबंद/कोरिया/जशपुर/बालौद/राजनांदगांव/बलौदाबाजार/बलरामपुर/ गौरेला- पेण्ड्रा-मरवाही/कोण्डागांव, छ.ग.
- 10- जिला कार्यक्रम अधिकारी/जिला एवं बाल विकास अधिकारी, महिला एवं बाल विकास, जिला-बिलासपुर/जांजगीर-चांपा/कोरबा/गरियाबंद/कोरिया/ जशपुर/ बालौद/राजनांदगांव/ बलौदाबाजार/बलरामपुर/ गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही/कोण्डागांव, छ.ग.
- 11- अधीक्षका बाल गृह, (बालिका) बिलासपुर, जिला-बिलासपुर, छ.ग.।
- 12- संबंधित अधिकारी की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
कृपया नवीन पदस्थापना स्थल पर 15 दिवस के भीतर कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करें।
- 13- आदेश फोल्डर।


अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन

महिला एवं बाल विकास विभाग